संख्या-125/2016/आर.1638/26-3-2016-4(02)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जून 2016

विषयः-अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में जनजातियों के कल्याण के लिये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-120/2015/आर-3222/26-3-2015-4(2)/2014, दिनांक-28-10-2015 एवं निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-44/113/ज.जा.वि./2016-17 दिनांक-24-05-2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर में विकास कार्यो (इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण) हेतु स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि रूपया-176.00 लाख (रूपया एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

क.सं	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई (मीटर में)	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनजाति ग्राम घुमची प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण	450	38.50	19.00	19.50
2	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	650	39.50	15.00	24.50
3	जनजाति ग्राम घुमची जनजाति बस्ती होते हुये पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	200	18.71	8.00	10.71
4	जनजाति ग्राम बनकट में जूनियर हाईस्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण	480	35.50	15.00	20.50
5	जनजाति ग्राम बनकटा जनजाति बस्ती से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण	145	13.37	6.00	7.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती होते हुये मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	500	39.80	15.00	24.80
7	जनजाति ग्राम पचमोहनी प्राइमरी स्कूल से जनजाति बस्ती तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	510	40.50	15.00	25.50
8	जनजाति ग्राम पचमोहनी में मुख्य रोड़ से पोखरे तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	135	15.82	6.00	9.82
9	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से मेन रोड़ तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	450	38.00	15.00	23.00
10	जनजाति ग्राम परसाबुर्जग जनजाति बस्ती से ग्राम पंचायत भवन तक इन्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली का निर्माण।	225	20.30	10.00	10.30
कुल धनराशि			300.00	124.00	176.00

(1)-प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय क्षेत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य (के.100%)-24 बृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-125/2016/आर.1638(1)/26-3-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
5.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।